ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 4.6.2018
Page No. 1, Size:(18.94)cms X (10.01)cms.

सिक्योरिटी की फिक्र | पेमेंट कंपनियों का आधार डेटाबेस में एक्सेस प्रतिबंधित

मोबाइल वॉलेट कंपनियों के सामने नई टेंशन

| प्रतीक भक्त | बेंगलुरु |

मोबाइल वॉलेट कंपनियां नो युअर कस्टमर की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने के निर्देश से पहले से परेशान थीं, अब कस्टमर की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करने का अपेक्षाकृत आसान तरीका भी उनको दिक्कत में डाल सकता है। आधार डेटा को मैनेज करने वाली यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अपने डेटाबेस में पेमेंट कंपनियों का एक्सेस सीमित कर दिया है। उसने उन्हें लोकल ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसियों के वर्ग में डाला है। उसने उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर चिंता जताते हुए ऐसा किया है।

ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (AUA) को किसी व्यक्ति से आधार इंफॉर्मेशन लेने और उसे वैलिडेशन के लिए सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपॉजिटरी के पास जमा करने की इजाजत है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद UIDAI ने एजेंसियों का लोकल और ग्लोबल AUA में वर्गीकरण करने और इन दोनों समूहों को अलग-अलग सीमा तक एक्सेस देने का निर्णय किया। सभी ऑथेंटिकेशन एजेंसियों को भेजे गए 16 मई के लेटर में UIDAI ने कहा है कि केवल ग्लोबल AUA को आधार नंबर के साथ फुल ईकेवाइसी के एक्सेस की इजाजत होगी, वहीं लोकल एजेंसियों

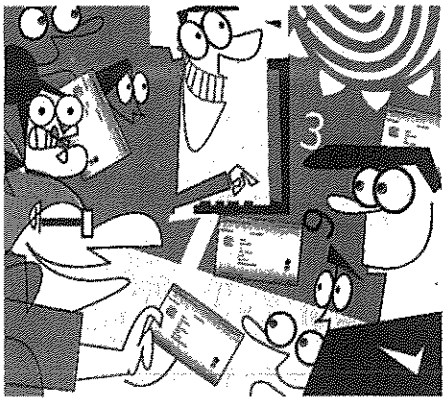

का एक्सेस सीमित रहेगा। बैंकों को ग्लोबल AUA की कैटेगरी में रखा गया है, वहीं सभी पेमेंट कंपनियों और ऑथेंटिकेशन बिजनेस की दूसरी इकाइयों को लोकल कैटेगरी में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि पेमेंट कंपनियां कंज्यूमर्स से केवल वर्चुअल आधार नंबर ले सकती हैं।

UIDAI कंज्यूमर्स के लिए वर्चुअल आईडी देता है ताकि उनके आधार नंबरों का दुरुपयोग न हो सके। इनका उपयोग वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है। UIDAI के लेटर में कहा गया है कि जिन इकाइयों को आधार नंबर के जरिए क्लाइंट्स का वेरिफिकेशन करने की जरूरत होती है, हो सकता है कि उनमें से कुछ के पास इन नंबरों का उपयोग करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम्स न हों और ऐसी इकाइयों को ग्लोबल AUA की लिस्ट से बाहर किया गया है। वॉलेट कंपनियों के एग्जिक्यूटिव्स ने कहा कि नए कदम के चलते उन्हें कस्टमर्स से कहना होगा कि वे UIDAI की वेबसाइट से अपना वर्चुअल आईडी लें और उसके बाद ही वॉलेट का इस्तेमाल हो सकेगा।